न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या 216/2025

सी0आई0एस0 नं0– 357/2025

बिहार सरकार द्वारा सूचक उपेन्द्र साह.......................................अभियोजन

बनाम्

अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार..अभियुक्त

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

निर्णय की तिथि

20वीं जून, 2026.

(विचारण संख्या 216/2025, सी0आई0एस0 नं0– 357/2025)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

परसौनी थाना कांड संख्या 117/2024

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

परिवादी/सूचक	बिहार सरकार द्वारा उपेन्द्र साह, पिता– देवनारायण साह, ग्राम– धोधनी, वार्ड नं0–5, थाना–परसौनी, जिला–सीतामढ़ी।
सरकार की ओर सेः– श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट।	
अभियुक्तः– **अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार,** उम्र–59 वर्ष, पिता– स्व0 रामवृक्ष साह साकिनान– धोधनी, थाना–परसौनी, जिला–सीतामढ़ी।	
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः– श्री राजेश भारती, विद्वान अधिवक्ता।	

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या 216/2025, सी0आई0एस0 नं0– 357/2025

परसौनी थाना कांड संख्या 117/2024

निर्णय की तिथि– 20वीं जून, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार (अभियुक्त)

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	30.07.2024 से 01.08.2024
प्राथमिकी का दिनांक	03.08.2024
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	02.05.2025
आरोप गठन का दिनांक	27.11.2025
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	01.12.2025
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	15.06.2026
निर्णय का दिनांक	20.06.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
ए 1.	**अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार**	04.08.2024	11.09.2024	धारा 75(2), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्ति	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	पीड़िता–1	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	पीड़िता–2	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या 216/2025, सी0आई0एस0 नं0– 357/2025

परसौनी थाना कांड संख्या 117/2024

निर्णय की तिथि– 20वीं जून, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार (अभियुक्त)

अभियोजन साक्षी संख्या 3	उपेन्द्र साह	सूचक
अभियोजन साक्षी संख्या 4	अनिता देवी	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 5	अनुराधा कुमारी	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 6	शिवानी कुमारी	अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 7	पंकज कुमार साहु	पक्षद्रोही साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 8	सोनम कुमारी	अनुसंधानकर्त्ता

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–पी0 1	द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता–1 का हस्ताक्षर।
2.	प्रदर्श–पी0 2	द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता– 2 का हस्ताक्षर।
3.	प्रदर्श–पी0 3	सूचक के लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।
4.	प्रदर्श–पी0 4	सूचक के लिखित आवेदन पर कातिब पवन कुमार का हस्ताक्षर।
5.	प्रदर्श–पी0 5	औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष के द्वारा किया गया हस्ताक्षर।
6.	प्रदर्श–पी0 6	पीड़िता–1 के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित।
7.	प्रदर्श–पी0 7	पीड़िता–2 के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित।

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

1.	प्रदर्श A	परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के संज्ञान आदेश की सत्यापित प्रति।
2.	प्रदर्श B	परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के प्राथमिकी आवेदन की सत्यापित प्रति।
3.	प्रदर्श B/1	परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के लिखित आवेदन की सत्यापित प्रति।
4.	प्रदर्श C	परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के आरोप पत्र संख्या 77/2019 की सत्यापित प्रति।

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

1. उपरोक्त नामित वाद के एक मात्र प्राथमिकी अभियुक्त **अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार** का विचारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय धोधनी, थाना–परसौनी, जिला–सीतामढी में दिनांक 30.07.2024 से 01.08.2024 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचक उपेन्द्र साह के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि मेरी पुत्री पीड़िता उम्र करीब 14 वर्ष जो गांव में ही राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय, धोधनी, कक्षा 8 मे पढ़ती है। रोज कि भांति दिनांक 01.08.2024 रोज गुरुवार को मेरी पुत्री विद्यालय मे पढ़ने गई थी जब विद्यालय मे छुट्टी के बाद मेरी पुत्री 04:10 बजे घर रोते आई तथा मुझे देखकर जोर–जारे से रोने लगी पुछने पर बताई कि आज स्कुल में हेडमास्टर साहब अमरेन्द्र कुमार मुझे समय करीब 03:50 बजे बुलाकर रूम बंद करने को कहे, जब मैं रूम बंद करने गई तो मेन दरवाजा को अमरेन्द्र कुमार हेडमास्टर साहब अपने से बंद कर मेरे साथ प्राईवेट पार्ट स्पर्श करते हुए दुष्कर्म करने कि कोशिश किये। मेरी पुत्री किसी तरह अपना बांह

छुड़ाकर भागकर स्कुल में ही एक शिक्षक पंकज सर को घटना के बारे मे बताई तो पंकज सर बोले जाकर अपने माता–पिता को बोलो तब आकर मुझे बताई इस घटना पर मेरे पिताजी देवनारायण साह स्कुल में जाकर हेडमास्टर अमरेन्द्र कुमार को शिकायत किये कि इस तरह कि हरकत मेरी पोती के साथ क्यों किये तो उसने धक्का मारकर भगा दिये। अमरेन्द्र कुमार पिता स्व0 रामवृक्ष साह जो ग्राम धोधनी, थाना– परसौनी, जिला– सीतामढ़ी के निवासी है तथा बहुत दिनों से गांव में ही नौकरी करते हैं। इससे पूर्व भी स्कुल की एक बच्ची पीड़िता उम्र 12 वर्ष सा0 ढांगर टोले कंचनपुर, वार्ड नं0 03, थाना– परसौनी, जिला– सीतामढ़ी जो इसी विद्यालय वर्ग 07 में पढ़ती है। उसे भी दिनांक 30.07.2024 को ऑफिस में करीब 02:00 बजे आधार कार्ड देने के बहाने शरीर पर स्पर्श करते हुए कमर पकड़कर अश्लील हरकत किये जिसका शिकायत विद्यालय में जाकर रेशमी कुमारी कि माता अनिता देवी ने की परन्तु अमरेन्द्र कुमार हेडमास्टर नहीं मिले थे। उक्त मास्टर अमरेन्द्र कुमार बहुत हि दबंग और चरित्रहीन व्यक्ति है तथा अपने विद्यालय में आये दिन बहुत ही बच्ची को बुरी नजर से देखते हैं तथा इसके डर से कोई नहीं बोलता है।

3. सूचक के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर परसौनी थाना कांड संख्या–117/2024 दिनांक 03.08.2024 को अन्तर्गत धारा 75, भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अतंर्गत अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर प्राथमिकी अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75, भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् आरोप पत्रित अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75(2)(3), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में संज्ञान लिया गया है।

5. उपरोक्त नामित एक मात्र प्राथमिकी अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा 75, भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर प्राथमिकी अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

Ashok Kumar Majhi
20/06/2026

6. एक मात्र प्राथमिकी अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

विचारणीय बिन्दु

7. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन

अप्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

8. अभियोजन पक्ष की ओर से एक मात्र प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल 08 साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता–1, अभियोजन साक्षी संख्या–2 पीड़िता–2, अभियोजन साक्षी संख्या–3 उपेन्द्र साह (सूचक), अभियोजन साक्षी संख्या–4 अनिता देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–5 अनुराध ा कुमारी, अभियोजन साक्षी संख्या–6 शिवानी कुमारी, अभियोजन साक्षी संख्या–7 पंकज कुमार साहु एवं अभियोजन साक्षी संख्या–8 सोनम कुमारी (अनुसंधानकर्त्ता) है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–पी0 1 द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता–1 का हस्ताक्षर, प्रदर्श–पी0 2 द0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान पर पीड़िता– 2 का हस्ताक्षर, प्रदर्श–पी0 3 सूचक के लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर, प्रदर्श–पी0 4 सूचक के लिखित आवेदन पर कातिब पवन कुमार का हस्ताक्षर, प्रदर्श–पी0 5 औपचारिक प्राथमिकी पर थानाध्यक्ष के द्वारा किया गया हस्ताक्षर, प्रदर्श–पी0 6 पीड़िता–1 के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित, प्रदर्श–पी0 7 पीड़िता–2 के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे 4 प्रदर्श क्रमशः प्रदर्श A- परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के संज्ञान आदेश की सत्यापित प्रति, प्रदर्श B- परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के प्राथमिकी आवेदन की सत्यापित प्रति, प्रदर्श B/1- परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के लिखित आवेदन की सत्यापित प्रति, प्रदर्श C- परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 के आरोप पत्र संख्या 77/2019 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Ashok Kumar Manjhi
20/06/26

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

9. अभियोजन साक्षी संख्या 01 पीड़िता–1 है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह घटना आज से साल भर पहले की है। मेरे क्लास में हल्ला चिल्ला हो रहा था तो अमरेन्द्र कुमार ने मेरे साथ डांट डपट किया था। उसके बाद मैं रोते हुए अपने घर वापस आ गई। सारी बात मैं अपने पापा को बताई थी। पुलिस को बयान दी थी पुलिस मुझे बयान हेतु न्यायालय लाया। न्यायालय मे भी मै अपने पिता के समक्ष बयान दी थी। न्यायालय में मैने जो बयान दिया था, वह सही था, जो मेरे साथ हुआ था वही बयान मे बोली थी। बयान पढ़कर और सुन समझ कर मै और मेरे पिता जी ने हस्ताक्षर किया था जिसे मैं पहचानती हूँ। जिसे प्रदर्श पी01/पी0 डब्ल्यू 1 अंकित किया जाता है। यह केस मेरे पिता द्वारा किया गया था जो मै

बताई थी उसी के आधार पर मेरे पिता जी ने केस किया था। आज न्यायालय मे अभियुक्त उपस्थित है जिसे देखकर पहचानती हूँ।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे क्लास मे हो हल्ला हुआ था उसी को लेकर मेरे साथ डांट डपट किया गया था। इसके अलावे मेरे साथ किसी प्रकार अन्य घटना नहीं घटी थी। जिस समय डांट डपट मेरे साथ हुआ था उस समय अभियुक्त के अलावे शिक्षक मे कोई नहीं था। मेरे क्लास के बच्चों से अभियुक्त पूछताछ किये थे।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 02 पीड़िता–2 है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि घटना के समय मै सातवें कक्षा की छात्रा थी। यह घटना आज से एक साल के आसपास की है। जब क्लास मै हल्ला हो रहा था। उसी समय मेरे शिक्षक अमरेन्द्र कुमार आये और मेरे साथ डांट डपट करने लगे। मै रोते हुए अपने घर चली आई और सारी बात मै अपनी मां को बताई। यह मुदकमा मेरे मां के द्वारा किया गया था। बयान मै न्यायालय मे मां के समक्ष दिया था उसे पढ़कर समक्ष कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाई थी। बयान मे मै जो बोली थी वही मजिस्ट्रेट साहब द्वारा लिखा गया था। बयान पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूं जिसे प्रदर्श पी02/पी0डबलू02 अंकित किया जाता है। पुलिस को भी मै अपना बयान दिया था। आज न्यायालय मे अभियुक्त उपस्थित है जिसे देख कर पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अमरेन्द्र सर ने डांट डपट के अलावे मेरे साथ अन्य किसी भी प्रकार घटना नही घटी थी। क्लास मे हो हल्ला हो रहा था इसलिए डांट डपट किया गया था। पुलिस के कहने के पर मैने बयान न्यायालय मे नही दी थी। जो घटना घटी थी वही बयान मे लिखाई थी। आज बयान याद नही है। क्लास मे जब मेरे साथ डांट डपट किया गया था। वहां पर उस समय और भी लगभग दस विधार्थी थे। घटना के समय अभियुक्त के अलावे कोई दुसरे शिक्षक नही थे। घटना के समय अभियुक्त कुर्सी पर बैठे हुए थे और मै खड़ी थी। कक्ष बड़ा है लगभग दस बाई दस का है। हमलोगो से अभियुक्त पूछताछ किये और डांट डपट किये जिसके बाद मै अपने घर चली आई।

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

11. अभियोजन साक्षी संख्या 03 उपेन्द्र साह है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि मै इस मुकदमे का सूचक हूं। यह आवेदन को मैने दिया था। यह घटना आज से एक साल चार महीने की है। मेरी बेटी पिड़िता राजकीय मध्य विधालय घोधली मे आठवी वर्ग मे पढ़ती थी। बच्ची लोग शोर गुल कर रही थी, इसी बात को लेकर मेरी बेटी को डांट डपट कर स्कूल से निकाल दिया। मेरे पिता जी देवनारायण साह ने शिकायत करने के लिए विधालय गई तो उसे भी डांट डपट कर भगा दिया था और साथ ही मेरे ग्राम की दूसरी पिड़िता उनके पिता जनाड़धन राम की पुत्री है। उसको भी हेड मास्टर ने आधार कार्ड को लेकर दो दिन पहले डाट

डपट कर भगा दिया था। इन्ही बातो को लेकर मैने उपयुक्त आवेदन थाना प्रभारी को दिया था। यह आवेदन पूरन नाम के व्यक्ति से उपयुक्त आवेदन लिखवा कर उस पर अपना हस्ताक्षर कर थाने मे दिया था। मेरे कथना अनुसार यह पूरन ने आवेदन लिखा था। आवेदन मे किये गये हस्ताक्षर को पहचानता हू। जिसे प्रदर्श पी03/पी0डब्लू03 अंकित किया जाता है। पूरन का हस्ताक्षर व लिखित आवेदन को पहचानता हूं। जिसे सर्पूर्ण आवेदन पर प्रदर्श पी04/पी0डब्लू03 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को देखकर पहचानता हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि आवेदन लिखाने मे पूरन तथा लालू साह थे। इस मुकदमा के पहले अभियुक्त के द्वारा मेरे ग्रामीणों के विरूद्व 2019 मे केस हुआ था। उसमे अभियुक्त लालू और विनोद के विरूद्व हुआ था। पूरन के विरूद्व केस नही हुआ था। वह केस अभी लंबित है। गांव के लोगो को अभियुक्त से नाराजगी थी। जो बारात को स्कूल ठहराने के लिए है। जिसमे विधालय के रसोईया विदेश्वर साह को मार लगा था।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 04 अनिता देवी है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि मै दुसरी पिड़िता की मां हूं। यह घटना आज से एक साल चार महीना पहले की है। मेरी पुत्र धोधनी म0 विधालय मे पढ़ती थी। घटना के दिन मेरी पुत्री घर से विधालय अकेले ही गई थी। मै विधालय मे नही गई थी। मेरी बच्ची शाम मे चार बजे घर आई और मुझे बोली की बच्चें लोग हल्ला कर रहे थे और सर आकर मुझे बहुत डांटे थे। गांव के अन्य लोग के बच्चे को भी अभियुक्त ने डांटे थे। पुलिस को मै बयान दी थी। अभियुक्त आज न्यायालय मे उपस्थित है जिसे देखकर पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त ने मेरी पुत्री के साथ डांट डपट के आलावे और किसी प्रकार की घटना नही किया था।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 05 अनुराधा कुमारी एवं अभियोजन साक्षी संख्या 07 को पक्ष–द्रोही घोषित किया गया है।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 06 शिवानी कुमारी है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे कहा कि घटना आज से ढ़ेढ साल पहले की है। उस समय मै अपने विधालय मे थी। घटना का दिनांक मुझे याद नही है। पिड़िता एक और दुसरी दोनो क्लास मे हल्ला कर रही थी। इसी को लेकर हेडमास्टर अमरेन्द्र सर ने दोनो को डांटा था। आज न्यांयालय मे उपस्थित अभियुक्त अमरेन्द्र सर को पहचानता हूं जो मेरे विधालय के हेडमास्टर है। मै उस दिन स्कूल मे थी और स्कूल मे छुट्टी हो रहा था तो मै और पिड़िता क्लास का दरवाजा बंद करने जा रही थी तो अभियुक्त मुझे भगा दिया था और पिड़िता को उस समय डांटा था। आज न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मेरे

Ashok Kumar Manjhi
20/06/26

व्यवहार न्यायालय सीतामढ़ी

विधालय मे अभियुक्त को लेकर कुल सात शिक्षक है। स्कूल मेरे गांव मे ही है और स्कूल अगल बगल मे घर है, घर मे परिवार के लोग रहते है। अभियुक्त भी उसी गांव के है।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 08 सोनम कुमारी (अनुसंधानकर्त्ता) है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि मै दिनांक 03.08.2024 को मैं परसौनी थाना में परि0 पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थी। उक्त तिथि को परसौनी थाना काण्ड संख्या 117/2024 के अनुसंधान का भार तत्कालीन थानाध्यक्ष परसौनी थाना ओम पुकार प्रिय से प्राप्त किया। औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक के लिखावट में है जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ओम पुकार प्रिय का हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श P-5/PW8 अंकित किया जाता है। अनुसंधान भार ग्रहण करने के पश्चात् मैंने कागजातों का अवलोकन किया। इसके बाद घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। इस कांड का घटना स्थल ग्राम धोधनी आदर्श म0 विधालय थाना परसौनी के अंतर्गत है। घटनास्थल पर साक्षी शिक्षक पंकज कुमार, शिवानी कुमारी, अनुराधा कुमारी का बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया जिसका विवरण इस प्रकार है:– घटनास्थल की चौहद्दी– उत्तर में आदर्श म0 विधालय का बंद दो खाली कमरा उसके बाद विद्यालय का चार दिवारी स्थित है, दक्षिण में विधालय का प्रागंण, पूर्व में उ0–द0 रूख का पक्की ग्रामीण सड़का है, जो उत्तर मे ग्राम देमा एवं दक्षिण एन0एच0–727 की ओर जाती है। पश्चिम में प्रधानाध्यापक के कक्ष से 25 मी0 की दुरी पर आदर्श म0 विधालय का दो मंजिला भवन है। अनुसंधान के कम में वादी का पुनः बयान लिया, साक्षी अनिता देवी का बयान एवं दोनो पीड़िता का बी0एन0एस0एस0 की धारा 180 के अंतर्गत का बयान लिया। इसके बाद दोनो पीड़िता को बी0एन0एस0एस0 के बयान हेतु न्यायालय मे प्रस्तुत किया। दोनो पीड़िता का न्यायालय मे बयान हुआ। दोनो पीड़िता मेडिकल जांच कराने से इंकार कर दी। पीड़िता को उसके परिजन के हवाले कर दिया। दोनो पीड़िता का उम्र का सत्यापन किये थे, दोनो पीड़िता का प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दोनो आवेदन को प्रमाणित कर प्रधानाध्यापक के द्वारा उम्र के संबंध मे दिया गया था जिसमे एक पीड़िता की उम्र 13.07.2011 एंव दूसरी पीड़िता का जन्म तिथि 01.04.2009 था। जिसे पहचानती हूं इसे प्रदर्श P-6/PW8 एवं P7-/PW8 अंकित किया जाता है। इस केस प्राथमिकी अभियुक्त अमरेन्द कुमार को गिरफ्तार कर थाने पर लाया, अगले दिन न्यायालय मे प्रस्तुत किया। न्यायालय से उसे कारा मंडल सीतामढ़ी भेज दिया गया था। वरीय पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। अभियुक्त अमरेन्द कुमार का अपराधिक इतिहास का पता किया, इनका अपराधिक इतिहास के कम मे परसौनी थाना कांड संख्या 37/1998, दिनांक–19.04.1998 धारा 304बी0/201/34 भा0द0वि0 पाई थी। चूकि अभियुक्त सरकारी कर्मी थे इसलिए इनके विरूद्व अभियोग चलाने के हेतु आवेदन दिये और आदेश प्राप्त किया जिसका ज्ञापाक संख्या–4263/सीतामढ़ी, दिनांक 27.10.2024 है। वरीय पदाधिकारी का प्रतिवेदन 3 सह अंतिम आदेश प्राप्त हुआ। अबतक के अनुसंधान, साक्षियों के बयान, वादी का पुनः बयान, घटना का निरीक्षण, दोनो पीड़िता का बयान एवं वरीय पदाधिकारी का आदेशानुसार घटना को सत्य

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

पाते हुए, इस कांड के नामजद अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार के विरूद्व आरोप पत्र संख्या–175/2024 दिनांक 31.10.2024 धारा 75 बी0एन0एस एंव पॉक्सो की धारा 8 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया। आज न्यायालय मे अभियुक्त अमरेन्द्र कुमार उपस्थित है, जिसे पहचानती हूं।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मैं वाद दैनिकी के पारा 16 मे यह स्पष्ट रूप समय का उल्लेख नहीं की हूं, लेकिन दिनांक 03.08.2024 की उल्लेख की हूं। पारा 16 को उल्लेखनीय करके वर्णित की हूं, क्योंकि सनहा संख्या– 86/2024 के सत्यापन हेतु विधालय मे गई थी। सनहा किसने दिया उसका नाम वाद् दैनिकी 16 मे नहीं लिखा है। सनहा का पूरा विवरण मैनें नहीं लिखा है, पंरतु पारा 16 मे वर्णित है, उल्लेखनिय है कि सनहा संख्या 86/2024 दिनांक 03.08.2024 के आलोक मे मैं परि0पु0अ0नि0, थानाध्यक्ष, अन्य दो पदाधिकारी व सशस्त्र बल के साथ थाने से प्रस्थान किये, जहां राजकीय आदर्श म0 विधालय के प्रधानाध्यापक अमरेन्द्र कुमार के द्वारा विधालय के छात्रों के साथ छेड़छाड़ की घ टना को लेकर सिनियर लोग काफी उग्र होकर विधालय मे प्रधानाध्यापक का घेराव किये थे, जिसको लेकर विधालय मे अफरा–तफरी का महौल बन गया था। जिस कारण विधालय के प्रधानाध्यापक को सुरक्षार्थ थाना पर लाया गया था, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। सनहा के सत्यापन जब मै पहली बार विधालय मे पहुंची थी, वहां अभियुक्त के विरूद्व विधालय मे कोई आवेदन या फर्द बयान नहीं दिया गया था। पीड़िता के उम्र का सत्यापन के क्रम मे विधालय के रजिस्ट्र का स्वतः अवलोकन नही किये थे, क्योंकि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के पास ही अलमारी की चाभी है, जिसमे रजिस्ट्र बंद है। मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी रजिस्ट्र से बना कर दिया था। अभियुक्त के सफाई के बयान मे कहा गया था कि मै जो भी सफाई मे बोलुगां वह न्यायालय मे बोलुंगा। मैने न्यायालय में इस कांड के अभिलेख का अवलोकन नहीं किया था। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटीपूर्ण है।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। अभियुक्त उसी गांव में रहते हैं जिसमे यह विद्यालय है। उक्त गांव के निवासी, विद्यालय में गांव के किसी भी व्यक्ति के शादी–बयाह से संबंधित कार्य उसी विद्यालय में करते हैं तथा बाराती रूकने के कारण विद्यालय के रख रखाव में क्षति होती है तथा गंदा कर देता है जिस कारण अगले दिन छात्र–छात्राएं को परेशानी होती है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों मे विद्यालय प्रधान अभियुक्त से बराबर मनमुटाव रहता है। अतः अभियुक्त द्वारा इसी आशय का एक मुकदमा परसौनी थाना कांड संख्या 44/2019 दिनांक 20.05.2019 को दायर भी किया गया है जो बचाव पख की ओर से प्रदर्श A, B, B/1 तथा C क्रमशः अंकित भी कराया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध जो भी अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्षी लाया गया है, किसी ने भी पूर्णरूपेण घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त निर्दोष है, रिहा करने की मांग करते हैं।

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ... सीतामढी ... व्यवहार न्यायालय

17. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 08 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमे अभियोजन साक्षी संख्या 5 एवं 7 पक्षद्रोही साक्षी है जिन्होंने कहा है कि वे घटना के बारे मे कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 पीड़िता1 है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 पीड़िता2 है। अभियोजन साक्षी संख्या 3 उपेन्द्र साह जो पीड़िता संख्या 1 के पिता एवं सूचक है। अभियोजन साक्षी संख्या 4 अनिता देवी जो इस वाद के पीड़िता2 की मां है। अभियोजन संख्या संख्या 6 शिवानी कुमारी है एवं अभियोजन साक्षी संख्या 8 अनुसंधानकर्त्ता है। अभियोजन साक्षी संख्या– 1 एवं 2 दोनों हीं इस वाद की पीड़िता है। यह केस पीड़िता संख्या 1 के पिता के द्वारा किया गया है। दोनो हीं पीड़िता ने क्लास मे हल्ला–चिल्ला एवं अभियुक्त के द्वारा उनके साथ डांट–डपट की बात को स्वीकार करती है। इस घटना को दोनो पीड़िता ने हीं अपने गार्जियन को बताई थी। न्यायालय मे दोनो पीड़िता का बयान हुआ, जिस पर पीड़िता ने अपना–अपना हस्ताक्षर की जिन्हें क्रमश– पी01/पी0 डब्ल्यू 1 एवं पी02/पी0 डब्ल्यू 2 अंकित किया गया है। न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को दोनों ही पीड़िता ने पहचान की। अपने प्रतिपरीक्षण मे भी दोनों पीड़िता ने अभियुक्त के द्वारा सिर्फ डांट–डपट के अलावे अन्य किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी के बारे मे बतलायी। साक्षी संख्या 1 ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा है कि यह वाद मेरे पिता द्वारा दायर किया गया है, जबकि साक्षी संख्या 2 ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा है कि यह वाद मेरी माता द्वारा दायर किया गया है जो विरोधाभाष प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 3– उपेन्द्र साह जो पीड़िता संख्या 1 के पिता हैं एवं इस वाद के सूचक भी है। इस साक्षी ने भी पीड़िता संख्या 1 एवं पीड़िता संख्या 2 के कथन क्लास मे हल्ला–चिल्ला एवं अभियुक्त के द्वारा उन्हें डांट–डपट एवं स्कूल से निकला देने की घटना को लेकर आवेदन पूरन नाम के व्यक्ति (जो पेशे से कातिब है) से लिखवाकर एवं अपना हस्ताक्षर कर थाना प्रभारी को देने की बात को अपने मुख्य परीक्षण मे बताते हैं। जिसे प्रदर्श पी03/पी0 डब्ल्यू 3 अंकित किया गया है एवं पुरन का हस्ताक्षर एवं लिखित आवेदन को पहचानकर संपूर्ण आवेदन पर प्रदर्श पी04/पी0 डब्ल्यू 4 अंकित किया गया है एवं न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को देखकर पहचान किये। अपने प्रतिपरीक्षण मे कहते है कि इस मुकदमा के पहले अभियुक्त के द्वारा मेरे ग्रामीण के विरूद्ध 2019 में केश हुआ था, जिसमे लालू और विनोद अभियुक्त था। इसी कारण गांव के लोगों को अभियुक्त से नाराजगी थी। अभियुक्त के विरूद्ध आवेदन लिखवाने मे पूरन एवं लालू साह थे। अभियोजन साक्षी संख्या 4 पीड़िता संख्या 2 की मां है। इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण मे अपनी पुत्री पीड़िता के साक्ष्य का समर्थन एवं इसके अलावे अन्य किसी प्रकार की घटना नहीं किया गया था की बात को स्वीकार करती है। अभियोजन साक्षी संख्या 6 शिवानी कुमारी है। इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण मे क्लास मे हल्ला–चिल्ला एवं अभियुक्त के द्वारा दोनो हीं पीड़िता को डांट–डपट किया गया की बात को अपने साक्ष्य में कहती है। न्यायालय मे उपस्थित अभियुक्त को देखकर पहचान की। अभियोजन साक्षी संख्या 8 अनुसंधानकर्त्ता है जिसने इस केस का अनुसंधान किया है और

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

न्यायालय, श्री अशोक कुमार मांझी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्

–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

विचारण संख्या 216/2025, सी0आई0एस0 नं0– 357/2025

परसौनी थाना कांड संख्या 117/2024

निर्णय की तिथि– 20वीं जून, 2026.

राज्य द्वारा (बिहार सरकार) बनाम अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार (अभियुक्त)

अनुसंधान के कम मे घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा साक्षियों का बयान दर्ज किया, उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया है जिसकी पुष्टी उसने अपने परीक्षण मे किया है। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करने पर यह विदित है कि अभियोजन,अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

18. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मन्तव्य एवं अभियोजन साक्ष्य की विवेचना एवं दोनों पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता के बहस पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन विचारण का सामना कर रहे उपरोक्त नामित अभियुक्त **अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत ६ ाारा 75(2), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

19. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्त **अमरेन्द्र कुमार साह उर्फ अमरेन्द्र कुमार** को आरोप अंतर्गत धारा 75(2), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से **निर्दोष** पाते हुए, उन्हें संदेहों का लाभ देते हुए इस आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उनमुक्त किया जाता है।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)
(पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 20.06.2026

लेखापित

Ashok Kumar Manjhi
20/06/2026

अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश

सीतामढ़ी।
दिनांक 20.06.2026

Date of Judgement/Order	20-06-2026
Date of Reserving Judgement/Order	15-06-2026
Uploading Date	09-07-2026
Uploaded by	Sri Purnendu Kumar